



प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक- 09.01.2023

थाना बिनौली पुलिस, सर्विलांस व एसओजी की संयुक्त टीम ने बिनौली थाने के मु0अ0सं0 06/2023 धारा 302/201 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.01.2023 को थाना बिनौली पर श्री सुभाष पुत्र श्री पीतम निवासी ग्राम फतेहपुर पुट्टी थाना बिनौली जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसके पुत्र अनुज की उसके ही गाँव के 1.सुमित पुत्र सुरेशपाल, 2.लक्की पुत्र मलखा, 3.दीपक पुत्र तेजपाल, 4.अनुज पुत्र सैनू ने मारपीट कर हत्या कर दी तथा शव को छुपाने व सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से शव को कपिल के गन्ने के खेत में छुपा दिया । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 06/2023 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस, सर्विलांस एवं एसओजी की संयुक्त टीम ने थाना बिनौली के मु0अ0सं0 06/23 धारा 302/201 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त लक्की उर्फ सोहनपाल पुत्र सहन्सरपाल उर्फ मलखे निवासी ग्राम फतेहपुर पुट्टी थाना बिनौली जनपद बागपत को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी, तो अभियुक्त लक्की उर्फ

सोहनपाल ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि मेरी व मेरे साथियों सुमित पुत्र सुरेशपाल, अनुज पुत्र सने निवासी ग्राम फतेहपुर पुट्टी थाना बिनौली जनपद बागपत की हमारे गांव के अनुज पुत्र सुभाष से कुछ दिन पूर्व कहासुनी हो गयी थी। तभी से हमने अनुज को ठिकाने लगाने की ठान ली थी। कल दिनांक 07.01.23 को मैने व मेरे साथी सुमित व अनुज ने मिलकर अनुज को मारने की योजना बनायी। योजनानुसार दिनांक 07.01.2023 की रात 09.00 बजे हम तीनों ने कपिल के खेत की मैड पर पहले अनुज को खूब पीटा और उसके बाद जान से मारने की नीयत से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। मारने से पहले हमने उसके कपडों से उसके दोनो हाथ बांध दिये थे और पैंट को उतारकर वहीं फैंक दिया था तथा लाश को गन्ने के खेत में छुपा दिया था। उसके बाद हम तीनों सुमित की गाडी महिन्द्रा सुप्रो नं0 UP-17AT-2438 में बैठकर मौके से चले गये थे। इस वारदात को अंजाम देते समय गलती से सुमित का ऊनी टोपा वहीं गिर गया था।

गिरफ्तार करने वाली टीम को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत ने 25000/- रुपये का नकद पुररुष्कार देने की घोषणा की हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

लक्की उर्फ सोहनपाल पुत्र सहन्सरपाल उर्फ मलखे निवासी ग्राम फतेहपुर पुट्टी थाना बिनौली जनपद बागपत।

घटना स्थल से बरामदगी -

- अभियुक्त सुमित का 01 ऊनी टोपा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0 नि0 श्री सलीम अहमद मय टीम थाना बिनौली जनपद बागपत
- 2- प्रभारी सर्विलांस सैल मय टीम जनपद बागपत।
- 3-एसओजी टीम जनपद बागपत।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 09.01.23

थाना दोघट पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

पिन्टू पुत्र बुद्ध निवासी ग्राम मौहम्मदपुर खुन्टी थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री देवेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-का० 1072 विनय कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 09.01.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-विरेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र जयभगवान उर्फ टंगल निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-रामपाल पुत्र रामशरण निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 विकास कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2.का0 467 टिकू अधाना थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 09.01.2023

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 05 किलोग्राम गांजा के किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 05 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 19/23 धारा 08/20 NDPS ACT पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आरिफ पुत्र नसीम निवासी बुराडीगढी थाना बुराडी दिल्ली ।

बरामदगी का विवरण-

- 05 किलोग्राम अवैध गांजा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 गवेन्द्रपाल सिंह थाना बडौत ।
- 2-है0का0 165 कुलदीप भाटी थाना बडौत ।
- 3-का0 583 उमेश मावी थाना बडौत ।
- 4-का0 1115 राहुल तिवारी थाना बडौत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 09.01.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 693/22 धारा 3/5/8 गौवध अधि0, मु0अ0सं0 742/22 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व मु0अ0सं0 754/22 धारा 307/427 भादवि तथा मु0अ0सं0 755/22 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 693/22 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम, मु0अ0सं0 742/22 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व मु0अ0सं0 754/22 धारा 307/427 भादवि तथा मु0अ0सं0 755/22 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साहिल पुत्र मकसूद निवासी पूजा कालौनी थाना ट्रौनिका सीटी जनपद गाजियाबाद ।

गिरफ्तार अभियुक्त साहिल का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 693/22 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 742/22 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना बडौत जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 754/22 धारा 307/427 भादवि पुलिस मुठभेड थाना बडौत जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 755/22 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत

2- का0 402 विशाल पुनिया थाना बडौत जनपद बागपत

3- का0 403 नितिन त्यागी थाना बडौत जनपद बागपत